कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय बहोरीबन्द, जिला कटनी म.प्र.

E-Mail - bahoribandcollege@gmail.com, hegcbahkat@mp.gov.in

क्र. 35 /स्ववित्तीय/22 दिनांक- 17/08/2022

।। विज्ञापन का प्रारूप ।।

शासकीय महाविद्यालय बहोरीबंद में सत्र 2022-23 के लिए जनभागीदारी समिति द्वारा संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के लिए अध्यापन एवं अन्य व्यवस्था हेतु नीचे दर्शाए अनुसार योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सादे कागज में आवश्यक प्रमाण- पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति के साथ विज्ञापन प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि तक रजिस्ट्रर्ड डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकतें है, निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।

क्र.	विषय/कार्य की प्रवृत्ति	संख्या	मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
	स्ववित्तीय अतिथि विद्वान			
01	भौतिक शास्त्र	01	7000/-	न्यूनतम 55% के साथ संबंधित स्नातकोत्तर विषय के साथ नेट/स्लेट अथवा पी.एच.डी. की उपाधि (यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 के मापदंड अनुरूप)।
	रसायन शास्त्र	01		
	गणित	01		
	वनस्पति विज्ञान	01		
	जन्तु विज्ञान	01		

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय, बहोरीबन्द
जिला-कटनी (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय बहोरीबन्द, जिला कटनी म.प्र.

E-Mail - bahoribandcollege@gmail.com, hegcbahkat@mp.gov.in

आवेदन,चयन एवं कार्य की शर्ते :

1. समस्त आवेदन प्राचर्य /सचिव, जनभागीदारी समिति, शासकीय महाविद्यालय बहोरीबंद जिला-कटनी के नाम से प्रेषित किये जायेंगे लिफाफे के उपर विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करे।
2. आमंत्रित अतिथि विद्वान किसी भी हैसियत से महाविद्यालय की नियमित स्थापना के अंतर्गत नही होगें और लोक सेवा की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नही माने जायेंगे। इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देश मान्य होगें, वे सेवाऐं पूर्णतः अस्थायी है।
3. एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में गुणानुक्रम / मेरिट के आधार पर स्ववित्तीय अतिथि विद्वान का चयन किया जायेगा।
4. स्ववित्तीय अतिथि विद्वान के लिए चयन हेतु मेरिट उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रकिया अंतर्गत होगी ।
5. अंतिम सूची जारी करने के पूर्व आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC-NC/EWS) के अभ्यर्थियों को प्राप्त अंतिम अंको में 10% अंको का अतिरिक्त अधिभार प्रदान किया जायेगा।
6. स्ववित्तीय अतिथि विद्वान को प्राचार्य द्वारा सौपें गए शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्य सम्पादित करने होगे।
7. अभ्यर्थी को कार्य दिवस में न्यूनतम 06 घंटे महाविद्यालय में रूकना अनिवार्य होगा।
8. चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रदत्त दायित्वों का असंतोषजनक निर्वहन किये जाने पर या अनुशासन संबंधी विवाद की स्थिति में कार्य से हटाये जाने का अधिकार महाविद्यालय के प्राचार्य/सचिव,जनभागीदारी समिति, शासकीय महाविद्यालय बहोरीबंद जिला-कटनी रहेगा, उसका निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य रहेगा।
9. कार्य पर अनुपस्थिति के दौरान प्रति कार्यदिवस की निर्धारित दर से मानदेय काटा जायेगा।
10. समस्त न्यायालयीन प्रकरणों का कार्य क्षेत्र कटनी-जिला न्यायालय रहेगा।

(श्री इन्द्र कुमार)
प्राचार्य/सचिव
जनभागीदारी समिति,
शासकीय महाविद्यालय
बहोरीबंद जिला-कटनी (म.प्र.)

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय, बहोरीबन्द
जिला-कटनी (म.प्र.)

Scanned by CamScanner